भारत : राज्यों का संघ

एक देश के संविधान द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों का जो विभाजन या केन्द्रीकरण किया जाता है उस दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि "भारत, राज्यों का एक संघ होगा।" लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी संघीय शासन की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान हैं।

भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से चार लक्षण कहे जा सकते हैं

(1) संविधान की सर्वोच्चता- भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बन्धनकारी हैं और किसी भी सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है।

(2) शक्तियों का विभाजन- विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर संघीय शासन को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों की संख्या 66 है। ये विषय सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारों के अधिकार में हैं। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 है जिन पर संघ तथा राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

मूल संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों (राज्य सरकार) के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया, उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन, 1976' द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के चार विषय (शिक्षा, वन, वन्य जीव-जन्तुओं और पक्षियोंका रक्षण और नाप-तौल) समवर्ती सूची में कर दिये गये औरसमवर्ती सूची में एक नवीन विषय 20 क, जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन' जोड़ा गया है।

(3) लिखित और कठोर संविधान भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर ही परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) स्वतन्त्र उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतन्त्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हों। न्यायालयों

की यह व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। संविधान की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है।

भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण अथवा भारतीय संघ की विशेषताएं

भारत एक अत्यन्त विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया, लेकिन संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय सत्ता दुर्बल हो गयी, तब-तब भारत की एकता भंग हो गयी और उसे पराधीन होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, संविधान निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि वर्तमान समय के सभी संघात्मक राज्यों में विविध उपायों से केन्द्रीय सत्ता को पहले से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए भी संविधान निर्माताओं ने केन्द्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाना उचित समझा। अतः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में अनेक एकात्मक लक्षणों को भी यथास्थान देखा जा सकता है। इन्हें ही भारतीय संघ की विशेषताएं कहा जा सकता है संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं

(1) शक्ति का विभाजन केन्द्र के पक्ष में भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तो किया गया है, लेकिन शक्ति विभाजन की इस सम्पूर्ण योजना में केन्द्रीकरणकी प्रवृत्ति बहुत

अधिक प्रबल है इस शक्ति विभाजन का रूप है केन्द्रीय सूची में 97 विषय राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इन दोनों द्वारा निर्मित कानून में पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य होंगे। इस प्रकार संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा जल-थल और वायु शक्ति रेलवे मुद्रा और वैदेशिक सम्बन्ध आदि सभी महत्वपूर्ण विषय अकेली संघीय सरकार के अधिकार में हैं और कनाडा के संघ की तरह अवशेष शक्तियां भी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं।

(2) इकहरी नागरिकता, भारत में संयुक्त राज्य अमरीका आदि राज्यों की तरह दोहरी नागरिकता नहीं, वरन् एक ही भारतीय नागरिकता की व्यवस्था है। इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था भारत की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से उचित होते हुए भी उसे संघात्मक शासन के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं। कहा जा सकता।

(3) संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान साधारणतया संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों के संविधान संघ से पृथक् होते हैं, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के अन्तर्गत संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं।

(4) एकीकृत न्याय व्यवस्था- भारतीय संघ में अमरीका या आस्ट्रेलिया के संघ की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबन्ध करने के स्थान पर न्यायपालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत कर दिया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ही शाखाएं हैं. सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालयों पर व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और उच्च न्यायालयों का निर्माण तथा गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय देश की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था के शिखर पर स्थित है और यह केवल एक संघीय न्यायालय ही नहीं, वरन् सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है।

(5) संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि की जा सकती है राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है।

(6) भारतीय संविधान संकटकाल में एकात्मक संघात्मक व्यवस्थाएं शान्तिकाल और संकटकाल दोनों में ही संघात्मक बनी रहती हैं लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि सामान्य काल में तो संघात्मक बना रहेगा, लेकिन संकट के समय इसे बिना किसी प्रकार के औपचारिक संशोधन के एकात्मक व्यवस्था का रूप दिया जा सकता है संकटकाल की घोषणा के क्रियाशील रहने के समय संघीय संसद द्वारा राज्यसूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा और संघीय शासन के द्वारा राज्य सरकारों को उनके निश्चित क्षेत्र में भी आवश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे। इस प्रकार संकटकाल में राज्यों की स्वतन्त्रता का पूर्णतया अन्त हो जाएगा।

(7) सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियां संविधान द्वारा सामान्य काल में भी संघीय सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान की गयी हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रीय हित में अल्पकाल के लिए संघीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संघीय संसद को इस प्रकार का अधिकार दो या अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रस्ताव पास करके भी दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त, किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते के पालन के लिए भी संघ को सामान्य काल में भी राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है जो निश्चित रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था का ही एक लक्षण है।

(8) मूलभूत विषयों में एकरूपता सामान्यतया संघात्मक राज्यों में दोहरा कानूनी प्रशासन तथा दोहरी न्यायिक व्यवस्था होती है, किन्तु भारत में उन समस्त मूलभूत विषयों के सम्बन्ध में, जो राष्ट्र की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से तीन उपाय अपनाये गये हैं (क) न्यायपालिका का एकीकृत ढांचा, (ख) सारे देश में फौजदारी और दीवानी कानूनों में समानता (ग) संघ और विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं।

इसी प्रकार सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग तथा वित्तीय प्रशासन के लिए एक ही नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था है।

(9) राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है: और राज्यपाल बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य की यह विधि संघात्मक व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है।

(10) राज्य सभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं संयुक्त राज्य अमरीका स्विट्जरलैण्ड आस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक राज्यों में संघ की छोटी-बड़ी इकाइयों को संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इकाइयों की समान स्थिति को स्वीकार न किये जाने के कारण भी इसे संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

(11) आर्थिक दृष्टि से राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता राज्य

वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के स्थान पर केन्द्र पर निर्भरहै। केन्द्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिये जाते हैं और आर्थिक सहायता के कारण केन्द्र राज्य पर छाया रहता है। वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता नाममात्र की ही है।

(12) संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना संविधान के संशोधन से सम्बन्धित उपबन्ध भी राज्य सरकारों पर संघ की सर्वोच्चता के सिद्धान्त पर बल देते हैं। संविधान के अनेक उपबन्धों को वो संघीय संसद के द्वारा साधारण कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों को अकेली संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के केवल कुछ ही ऐसे उपबन्ध हैं, जिनके संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा संवैधानिक संशोधन का कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अन्य किसी भी संघ के राज्यों की तुलना में भारतीय संघ के राज्यों को संवैधानिक संशोधन की बहुत कम शक्ति प्राप्त है।

(13) अन्तर्राज्य परिषद् और क्षेत्रीय परिषदें संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को अन्तर्राज्य परिषद की नियुक्ति का अधिकार है जिसका कार्य राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और सामान्य हित के विषयों पर विचार करना होगा। इसके अलावा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों' (Zonal Councils) की स्थापना की गयी थी और 1971 में उत्तरी-पूर्वी सीमा के 5 राज्यों और 2 केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर सीमान्त परिषद् की स्थापना की गयी है। वास्तव में अन्तर्राज्य परिषद् और क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के कार्य में समन्वय की दिशा में ही उठाये गये कदम हैं।

(14) भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र भारतीय संघ में दो प्रकार की इकाइयां हैं (क) राज्य और (ख) संघीय क्षेत्र । वर्तमान समय में 7 संघीय क्षेत्र हैं। संघ के राज्यों को तो राज्य सूची के विषयों पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु संघीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्र को नियन्त्रण की प्रभावशाली शक्तियां प्राप्त हैं। संसद को इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सहायता से करता है।

(15) योजना आयोग उपर्युक्त संवैधानिक तत्वों के अलावा संविधान के बाहर एक तत्व योजना आयोग ने बहुत अधिक केन्द्रवादी तत्व के रूप में कार्य किया है। योजना आयोग ने केन्द्रीय सूची और राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर योजनाओ का निर्माण करते हुए राज्य सरकारों के कार्य संचालन पर अधिक नियन्त्रण रखा है और कुछ सीमा तक राज्य सरकारें एक एकात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन की इकाइयां बनकर रह गयी हैं।इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान में संघ शासन के सभी लक्षण मिलते हैं फिर भी अनेक दृष्टियों से यह संघीय सिद्धान्तों से भिन्न है और एकात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। अनेक विचारकों द्वारा इस प्रकार का मत व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान केवल देखने में ही संघीय है वास्तव में यह एकात्मक है। प्रो. डीयर (Wheare) का मत है कि "भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्द्ध-संघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें संघात्मक शासन के तत्व गीण रूप से हों। डॉ. कृष्णा पी. मुखर्जी का मत है कि भारतीय संविधान असंघीय अथवा एकात्मक है। श्री दुर्गादास बसु का मत है कि भारतीय संविधान न तो नितान्त संघात्मिक है और न ही एकात्मक वरन् यह दोनों का मिश्रण है।" L

वास्तव में उपर्युक्त विचारकों द्वारा भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप की जो आलोचनाएं की गयी हैं ये उचित नहीं हैं। यद्यपि संविधान में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है या शासन व्यवस्था में उनका स्थान केवल नगरपालिकाओं

के समान है। संविधान द्वारा राज्यों के अस्तित्व को उचित सम्मान प्रदान किया गया है। राज्यों का अपना कार्यक्षेत्र है जिसमें वे सामान्यतया स्वतन्त्र और सर्वोच्च हैं।

संघवाद स्वयं एक गतिशील अवधारणा और निरन्तर विकासमान व्यवस्था है। अत यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि अमरीका ने अठारहवीं सदी में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया था, उन्नीसवीं बीसवीं और 21वीं सदी में विश्व के सभी देश संघीय व्यवस्था को उसी रूप में अपनायेंगे। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्वीकार किया था कि "संविधान को संघवाद के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है।"

केन्द्र राज्य सम्बन्ध

भारत के संविधान ने केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की निश्चित और सुस्पष्ट योजना अपनायी है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के सम्बन्धों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

1. केन्द्र तथा राज्यों के बीच विधायी सम्बन्ध

2. केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक सम्बन्ध

3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध

। भारतीय संघ में केन्द्र राज्य विधायी सम्बन्ध

संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची (Union list), राज्य सूची (State list) व समवर्ती सूची (Concurrent list) का नाम दिया गया है। इन सूचियों को सातवीं अनुसूची में रखा गया है।संघ सूची- इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक कहा जा

सकता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व सन्धि देशीकरण व नागरिकता विदेशियों का आना-जाना रेल, बन्दरगाह हवाई मार्ग, डाकतार टेलीफोन व बेतार मुद्रा निर्माण बैंक, बीमा खानें व खनिज, आदि।

राज्य सूची इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गये हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं पुलिस, न्याय जेल स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कृषि सिंचाई और सड़कें, आदि।

समवर्ती सूची औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) द्वारा राज्य सूची के चार विषय (शिक्षा वन जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा और नाप-तौल) समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय 'जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया है। इस प्रकार आज स्थिति यह है कि गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गई है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से समवर्ती सूची के विषयों की संख्या आज भी 47 ही है। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं, जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय, दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्यों दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्यत संघ का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय हैं जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह-विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक वीमा पुनर्वास और पुरातत्व शिक्षा और आदि।

अवशेष विषय भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के सम्बन्ध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गयी है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की

शक्ति

सामान्यतया संविधान द्वारा किए गए इस शक्ति विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य कीव्यवस्थापिका द्वारा संघ सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

(i) राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता केवल एक वर्ष तक रहती है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पुन स्वीकृत करने पर इसकी अवधि में एक वर्ष की वृद्धि और हो जाएगी। इसकी अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी यह 6 माह तक प्रयोग में आ सकता है।

(ii) राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के के विधानमण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्ही विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमण्डल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं।

(iii) संकटकालीन घोषणा होने पर (अनुच्छेद 250) - संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत् चलते रहेंगे।

(iv) विदेशी राज्यों से हुई सन्धियों के पालन हेतु (अनुच्छेद (253) यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की सन्धि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है तो इस सन्धि के पालन हेतु संघ सरकार को सम्पूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(v) राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर (अनुच्छेद 356) यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तन्त्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करता है।

(vi) कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अन्तिम स्वीकृति के लिए केन्द्र का अनुमोदन आवश्यक अनुच्छेद 304(ख) के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमण्डल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति कीपूर्व-स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वे

विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य

के अन्दर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर

कोई प्रतिबन्ध लगाए जाने हों। अनुच्छेद 31 (ग) के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गयी हो। उदाहरण के लिए, किसी राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों या समवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के उससे पहले बनाए गए कानून के प्रतिकूल हों या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला हो, जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

राज्य-सूची के विषयों पर केन्द्रीय हस्तक्षेप राज्यों द्वारा यह भी शिकायत की गयी है कि केन्द्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित हैं। सन् 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम पारित किया जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केन्द्र द्वारा नियन्त्रण करना आवश्यक था। धीरे-धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 तथा 27 क्रम वाले विषयों पर केन्द्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं रेजर पत्ती, कागज, गोंद जूते माचिस साबुन, आदि से सम्बन्धित उद्योगों पर भी केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया।

राज्यों के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के अत्यधिक केन्द्रीकरण से राज्यों का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है।